भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.374
मंगलवार, 4 फ़रवरी, 2025/15 माघ, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2002

374. श्री सतीश कुमार गौतमः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय सहकारी समितियों/संघों के कृत्य विनिर्धारित किए गए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार उक्त कृत्यों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सहकारी प्रबंधन, वित्त और अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान किया गया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ख): जी हां, मान्यवर । परिसंघीय सहकारी समितियों (राष्ट्रीय सहकारी समितियों सहित) के कार्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 24 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं ।

(ग): जी हां, मान्यवर । बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 यथासंशोधित 2023 का संशोधन अधिसूचना सं. 11 की धारा 70 में एक नई उपधारा (10) अंतर्विष्ट किया गया है जिसमें राष्ट्रीय सहकारी समितियों के लेखांकन की संपरीक्षण रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा । इसके अतिरिक्त, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002के नियम 35A (3)के अनुसार कोई राष्ट्रीय सहकारी समिति, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 120 के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय पंजीयक के समक्ष विवरणी दाखिल कर यह ब्योरा देगी कि उसने अधिनियम की धारा 24 के अधीन परिसंघीय सहकारी समितियों के कर्तव्यों का अनुपालन किया है ।

(घ)और (ङ): जी हां, मान्यवर । बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 यथासंशोधित 2023 का संशोधन अधिसूचना सं. 11 की धारा 41 के अधीन 2 से अनधिक सहयोजित निदेशकों की नियुक्ति का उपबंध किया गया है जिन्हें बैंकिंग,प्रबंधन,सहकारी प्रबंधन और वित्त या ऐसी बहुराज्य सहकारी समिति के उद्देश्यों और कार्यकलापों से संबंधित किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है ।

*****